

## 78416 - क्या अज्ञान सुनने से पहले रोज़ा इफ्तार करना जायज़ है?

### प्रश्न

क्या अज्ञान से कुछ सेकंड पहले खाना जायज़ है, जबकि ज्ञात रहे कि मैं अज्ञान नहीं सुनता हूँ और यह शीयों का क्षेत्र है जो हमारी अज्ञान के बाद अज्ञान देते हैं?

### विस्तृत उत्तर

जब सूरज ढूब जाए तो रोज़ेदार के लिए रोज़ा इफ्तार करना जायज़ हो गया, चाहे मुअज्जिन अज्ञान दे या अज्ञान न दे। क्योंकि सूर्य के ढूबने का एतिबार है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

"जब रात यहाँ से आ जाए और दिन यहाँ से चला जाए और सूरज ढूब जाए तो रोज़ेदार के इफ्तार का समय हो गया।" इसे बुखारी (हदीस संख्या : 1954) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 1100) ने रिवायत किया है।

इब्ने दक्कीक अल-ईद कहते हैं : "इस हदीस में शीया का खण्डन है उनके रोज़ा इफ्तार को सितारों के प्रकट होने तक विलंब करने में।" "'फत्हुल बारी'" से समाप्त हुआ।

कुछ मुअज्जिन लोग सूर्यास्त के बाद कुछ अवधि के लिए विलंब करते हैं, तो उसके अज्ञान का एतिबार नहीं है, और उसका यह कार्य नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मार्गदर्शन (तरीके) के विरुद्ध है, जिन्होंने हमें सूर्यास्त के बाद रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करने पर उभारा है, चुनाँचे आप ने फरमाया: "'लोग निरंतर भलाई में रहेंगे जब तक वे रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे।'" इसे बुखारी (हदीस संख्या: 1957) और मुस्लिम (हदीस संख्या: 1098) ने रिवायत किया है।

रोज़ेदार के लिए उस समय रोज़ा इफ्तार करना जायज़ है जब उसे सूर्य के ढूबने का प्रबल गुमान हो जाए और यकीन का प्राप्त होना शर्त नहीं है, बल्कि गुमान का अधिक होना पर्याप्त है।

अतः जब रोज़ेदार को गालिब गुमान हो जाए कि सूरज ढूब गया है और उसने इफ्तार कर लिया, तो उसके ऊपर कुछ भी अनिवार्य नहीं है।

जबकि उसके लिए ऐसी स्थिति में रोज़ा इफ्तार करना जायज़ नहीं है जब उसे उसके ढूबने के बारे में संदेह हो।

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं:

"रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करना मस्नून है, अर्थात् जब सूरज ढूब जाए तो उसमें जल्दी करना चाहिए। अतः एतिबार सूरज के ढूबने का है, अज्ञान का नहीं। विशेषकर वर्तमान समय में जहाँ लोग कैलेंडर पर निर्भर करते हैं, फिर कैलेंडर का एतिबार अपनी

घड़ियों के अनुसार करते हैं, और उनकी घड़ियों में बदलाव हो सकता है, वे आगे या पीछे हो सकती हैं। अतः अगर सूरज ढूब जाए और आप उसको देख रहे हों, और लोगों ने अभी तक अज्ञान न दिया हो, तो आप रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं। जबकि यदि वे अज्ञान दे दें और आप देख रहे हों कि सूरज नहीं ढूबा है, तो आपके लिए रोज़ा इफ्तार करने की अनुमति नहीं है। क्योंकि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

“जब रात यहाँ से आ जाए और आप ने पूर्व की ओर इशारा किया, तथा दिन यहाँ से चला जाए और आप ने पश्चिम की ओर इशारा किया, और सूरज ढूब जाए तो रोज़ेदार के इफ्तार का समय हो गया।”

तथा तेज रोशनी का अस्तित्व हानिकारक नहीं है। चुनाँचे कुछ लोगों का कहना है: हम ऐसे ही रहेंगे यहाँ तक कि सूरज की टिकया लुप्त हो जाए और कुछ अंधेरा शुरू हो जाए, तो इसका कोई एतिबार नहीं है। बल्कि आप सूरज की टिकया को देखें जब उसके ऊपर का भाग गायब हो जाए, तो वास्तव में सूरज ढूब गया और रोज़ा इफ्तार करना मस्नून (धर्मसंगत) हो गया।

इफ्तारी में जल्दी करने के सुन्नत होने का प्रमाण: आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है: ''लोग निरंतर भलाई में रहेंगे जब तक वे रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे।'' इससे हमें पता चलता है कि जो लोग इफ्तार को सितारों के प्रकट होने तक विलंब करते हैं जैसे कि राफिज़ा (शिया) लोग, वे भलाई में नहीं हैं।

यदि कोई कहने वाला कहे: क्या मैं अधिक गुमान के आधार पर रोज़ा इफ्तार कर सकता हूँ, अर्थात् अगर मेरा अधिक गुमान यह हो कि सूरज ढूब गया है, तो क्या मैं रोज़ा इफ्तार कर सकता हूँ?

तो इसका जवाब यह है कि : हाँ, और इस का प्रमाण वह हदीस है जो सहीह बुखारी में अस्मा बिन्त अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हुमा से साबित है कि उन्होंने फरमाया : ''नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समयकाल में एक बदली वाले दिन में, हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया, फिर सूरज निकल आया।'' यह बात सर्वज्ञात है कि उन्होंने ज्ञान (यक्कीन) के आधार पर रोज़ा नहीं खोला था। क्योंकि अगर उन्होंने ज्ञान (यक्कीन) के आधार पर रोज़ा खोला होता तो सूरज प्रकट न होता। बल्कि उन्होंने अधिक गुमान के आधार पर रोज़ा खोला था कि वह ढूब गया है, फिर जब बदली छठ गई तो सूरज निकल आया।''

समाप्त हुआ।

''अश-शर्हुल-मुम्ते (6/267)''.